

**-: न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म0प्र0) :-**

**विविध आदेश**

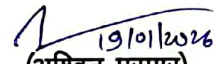
**क्रमांक-150/2026**

**उज्जैन, दिनांक : 19/01/2026**

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-144/2026, उज्जैन दिनांक 16/01/2026 में आशिक संशोधन करते हुए, सरल क्रमांक-14 में श्रीमती प्रियंका सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन के "कार्य के विवरण" कॉलम की कंडिका क्रमांक-2 में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है :-

"2- कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के आदेश क्र. 02/एक-15-1/ 2013 उज्जैन दिनांक 03/01/2019 के आदेशानुसार तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल), घट्टिया के समस्त पुलिस थाना सीमा क्षेत्र में उत्पन्न महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण जिनकी सुनवाई क्षेत्राधिकारिता उन्हें/न्यायालय को है।"

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से **आज दिनांक-19/01/2026** से ही प्रभावशील होगा।

  
(अश्विन परमार)

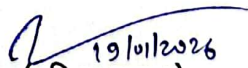
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
उज्जैन (म0प्र0)

**प्रतिलिपि :-**

पृष्ठांकन क्रमांक-150/2026

उज्जैन, दिनांक-19/01/2026

- 1- माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/3175/तीन-10-48 /98 जबलपुर दिनांक 09-सितम्बर-2009 के पालन में सादर प्रेषित।
- 2- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- माननीय श्री/श्रीमती ..... ~~समस्त~~ ..... अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 4- श्री/श्रीमती/कु. .... ~~समस्त~~ ..... ए.सी. जे.एम./जे.एम.एफ.सी.उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5- अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
- 7- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सूचित करने हेतु एवं जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।

  
(अश्विन परमार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
उज्जैन (म0प्र0)